मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

सत्यव्रत तरण

(सिविल अपील संख्या 10554 ऑफ़ 2011)

01 दिसंबर 2011

(एच.एल. दत्तू और चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद, जे.जे)

सेवा कानून मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1967-आर.13(5) -वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड-अनुदान क्या सहायक प्रोफेसर जिनकी नियुक्ति विभिन्न माध्यमों, पद्धतियों और स्रोतों से की गई है, जिसमें नियम 13(5) के अनुसार आकस्मिक नियुक्ति भी शामिल है वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान के अनुदान के लिए उनके विनियमन से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लाभ का दावा करने के हकदार थे - अभिनिर्धारित किया गया: दोनों पक्षों द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में योजनाएं, सरकारी आदेश और परिपत्र के रूप में बड़ी मात्रा में सामग्री प्रस्तुत की गई जो हलफनामे के माध्यम से नहीं थे और विरोधी पक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं थी – इसलिए मामले को नए सिरे से

विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों को उन सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की स्वतंत्रता दी गई, जिन पर वे अपने मामले के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं, प्रत्येक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के तरीके, तरीके और स्रोत सहित - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सभी मामलों को प्रधान पीठ को ही सौंपें ताकि मामलों को दो या तीन पीठों, जो तथ्यों के एक ही सेट और कानून के सवालों पर अलग-अलग राय ले, के बजाय एक ही पीठ द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जा सके

प्रतिवादी को मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1967 के नियम 13(5) के तहत आपातकालीन आधार पर सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पैनल की उपलब्धता होने पर उसकी आपातकालीन नियुक्ति को बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त करने की स्पष्ट शर्त थी। इसके बाद, प्रतिवादी ने लोक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण की और परिणामस्वरूप, उसके नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार, उसकी सेवाएँ एम.पी. शैक्षिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1990 के तहत नियमित कर दी गईं। इस बीच, राज्य सरकार ने वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान का लाभ, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन प्रदान करने के लिए शिक्षकों द्वारा वर्तमान कॉलेज या विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के

रूप में उनकी सेवा से पहले प्रदान की गई सेवा की अवधि को जोड़ने के लिए दिनांक 12.02.1992 को एक परिपत्र जारी किया। प्रतिवादी ने उच्च वेतनमान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद पर आपातकालीन नियुक्ति के रूप में की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं किए जाने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। यह स्वीकार की गई। इससे व्यथित होकर, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट अपील को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान का लाभ देने के लिए आपातकालीन नियुक्ति पर प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार द्वारा दायर त्वरित अपील में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था: क्या मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1967 के नियम 13 (5) के संदर्भ में आपातकालीन नियुक्तियों सहित विभिन्न माध्यमों, तरीकों और स्रोतों के माध्यम से नियुक्त सहायक प्रोफेसरों वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान के अनुदान के लिए उनके नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लाभ का दावा करने के हकदार थे।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. पक्षों की ओर से उपस्थित दोनों वकीलों द्वारा सरकार की योजनाओं, आदेश और परिपत्रो के रूप में भारी सामग्री प्रस्तुत की गई है। दस्तावेज़ हलफनामे के माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे और चूंकि विपरीत पक्ष के वकील को उन दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन मामलों को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेजना उचित है। [पैरा 11] [483-डी-ई]

1.2. इन सभीप्रत्येक मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। दोनों पक्षों को उन सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की स्वतंत्रता दी जाती है जिन पर वे अपने मामले के समर्थन में भरोसा करना चाहते है, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के तरीके, तरीके और स्रोत सहित [पैरा 13] [483-एच; 484-ए-बी]

1.3. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि इन सभी मामलों को प्रधान पीठ को ही सौंप दिया जाए ताकि एक ही तथ्यों पर अलग-अलग राय लेने वाली दो या तीन पीठों के बजाय मामलों को अंतिम रूप से एक ही पीठ द्वारा निपटाया जा सके। कानून के प्रश्न. [पैरा 14] [484-सी]

भारत संघ बनाम के.बी. राजोरिया (2000) 3 एससीसी 562: 2000 (2) एससीआर 613; भारत संघ बनाम मथिवनन (2006) 6 एससीसी 57: 2006 (3) पूरक एससीआर 30; द्विजेन चंद्र सरकार और अन्य बनाम भारत संघ (1999) 2 एससीसी 119: 1998 (3) पूरक एससीआर 576; एस सुमन्यान और अन्य बनाम लिमी निरी और अन्य (2010) 6 एससीसी 791: 2010 (4) एससीआर 829 - उद्धृत।

`केस कानून संदर्भ:

2000 (2) एससीआर 613 का पैरा 8 उद्धृत

2006 (3) पूरक एससीआर 30 का पैरा 8 उद्धृत

1998 (3) पूरक एससीआर 576 का पैरा 8 उद्धृत

2010 (4) एससीआर 829 का पैरा 8 उद्धृत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10554/2011

2009 के डब्ल्यू.ए. नं. 995 में उच्च न्यायालय म.प्र जबलपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.2.2010 से साथ

2011 की सिविल अपील संख्या 10555, 10556, 10557, 10558, 10559 10560,

10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10613, 10614, 16515, 10616, 10617, 10618, 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660 10661, 10662, 10663, 10664

विवेक. के. तन्खा, एएसजी, पी.एस. पटवालिया, बी.एस. बांठिया, अनिल पांडे, विभा दत्ता मखीजा, के. विजय कुमार, के.के. त्यागी, पी. नरसिम्हन, रोमी चाको, अर्पित गुप्ता, एल.सी. पाटनी, अनुपम लाल दास, भरत संगल, वर्निका तोमर, सृजना लामा, अमित शर्मा, शाहिद अनवर, डॉ. कैलाश चंद, राजेंद्र मिश्रा, रजा सैयद खादिम, राजेश सिंह, रवींद्र एस. गरिया उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एच.एल. दत्तू, जे. द्वारा सुनाया गया

विलंब क्षमा किया गया. अनुमति दी गई.

1. अपीलों का वर्तमान बैच, विशेष अनुमति के माध्यम से, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.02.2010 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न हुआ है और हमारे विचार और निर्णय के लिए कानून और तथ्यों का एक समान प्रश्न उठाता है। इसलिए, उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. इन अपीलों में हमारे सामने जो सामान्य मुद्दा है, उसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: क्या मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1967 के नियम 13(5) के संदर्भ में आपातकालीन नियुक्तियों सहित विभिन्न माध्यमों, तरीकों और स्रोतों के माध्यम से नियुक्त सहायक प्रोफेसर वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान देने के लिए उनके नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लाभ का दावा करने का अधिकार है।

3. ये सभी अपीलें 2008 की रिट अपील संख्या 599 और अन्य संबंधित मामलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामान्य आदेश दिनांक 11.02.2010 के खिलाफ प्रस्तुत हैं, जिसके तहत प्रतिवादियों द्वारा

आपातकालीन नियुक्तियों के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना करते हुए वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड लाभ, के अनुदान को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट अपीलें खारिज कर दी गई।

4. सभी मामले वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान देने से संबंधित हैं और सुविधा के लिए, हम 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 16906 के रिकॉर्ड से उभरे ऐसे तथ्यों को नोट कर सकते हैं।

प्रतिवादी को भर्ती नियम, 1967 के नियम 13(5) के तहत नियुक्ति आदेश दिनांक 14.12.1987 के तहत आपातकालीन आधार पर सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पैनल की उपलब्धता पर, बिना किसी सूचना के, उसकी आपातकालीन नियुक्ति को तत्काल समाप्त करने की स्पष्ट शर्त थी। इसके बाद, प्रतिवादी ने लोक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और परिणामस्वरूप, उसकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार, उसकी सेवाओं को म.प्र.शिक्षा सेवा (कॉलेजिएट शाखा) भर्ती नियम, 1990 (इसके बाद भर्ती नियम, 1990") रूप में संदर्भित के तहत आदेश दिनांक 02.09.1993 द्वारा नियमित कर दिया गया था।" । इस बीच, राज्य सरकार ने शिक्षकों को वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में वर्तमान कॉलेज या विश्वविद्यालय में उनकी सेवा से पहले

की गई सेवा की अवधि को जोड़ने के लिए दिनांक 12.02.1992 को एक परिपत्र जारी किया था, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। प्रतिवादी ने वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान के लाभ के निर्धारण के लिए आपातकालीन नियुक्ति के रूप में अपनी सेवा की अवधि की गणना करने के लिए राज्य सरकार को कई अभ्यावेदन दिए थे, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद, राज्य सरकार ने वेतनमान में संशोधन के लिए दिनांक 11.10.1999 को एक और परिपत्र जारी किया, जिसमें वरिष्ठ ग्रेड वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा अवधि और आगे वरिष्ठ ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा अवधि को सिलेक्शन ग्रेड में पदस्थापन के लिए उक्त परिपत्र के खंड 8 (ए) के अनुसार आवश्यक माना है। उच्च वेतनमान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद पर आपातकालीन नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं किए जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। अन्य बातों के साथ-साथ एक उचित रिट और अन्य परिणामी राहत की मांग हेतु। दिनांक 15.01.2009 के निर्णय एवं आदेश द्वारा यह स्वीकार की गई। इससे व्यथित होकर, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित सामान्य आदेश दिनांक 11.02.2010 के तहत रिट अपील को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को वरिष्ठ/चयन

ग्रेड वेतनमान का लाभ देने के लिए आपातकालीन नियुक्ति पर प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर राज्य सरकार इस अपील में हमारे सामने है।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2009 द्वारा यह माना कि उच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के मद्देनजर, आपातकालीन आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर द्वारा प्रदान की गई सेवा, उच्च वेतनमान का लाभ देने के उद्देश्य से गणना की जानी आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से श्रीमती संध्या प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य W.P क्रमांक 807/2007(एस) में एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 13.07.2007 का पालन किया है। जिसने, बदले में, मध्य प्रदेश राज्य व अन्य बनाम डॉ. (श्रीमती) सीमा रायज़ादा और अन्य डब्ल्यू.ए. संख्या 4863/2001 निर्णय दिनांक 10.08.2005 में डिवीजन बेंच के फैसले का पालन किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी सेवा की अवधि की गणना केवल वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड का लाभ देने के उद्देश्य से की जाएगी, न कि सहायक प्रोफेसर के संवर्ग में वरिष्ठता के लिए।

6. रिट अपील क्रमांक 599/2008 और अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आक्षेपित सामान्य आदेश के माध्यम

से म.प्र. राज्य और अन्य बनाम (श्रीमती) सीमा रायज़ादा और अन्य (सुप्रा) के अपने पूर्व निर्णय पर चर्चा की है। वह रिट याचिका थी, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमे उच्च वेतनमान का लाभ निर्धारित करने के लिए आपातकालीन नियुक्ति की सेवा की अवधि को ध्यान में रखने के लिए जारी निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस निर्णय का उसके द्वारा कई अन्य डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के फैसलों में लगातार पालन किया गया था। राज्य सरकार ने डॉ. (श्रीमती) सीमा रायज़ादा (सुप्रा) और अन्य संबंधित मामलों में इन निर्णयों से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.12.2007 के तहत देरी के आधार पर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और इसलिए, कानून का प्रश्न खुला छोड़ दिया। राज्य सरकार ने एक समीक्षा याचिका भी दायर की, जिसे इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2008 द्वारा खारिज कर दिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने, समान रूप में, देरी के आधार पर एसएलपी को खारिज करने के मद्देनजर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील प्रस्तुत की, लेकिन कानून का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में म.प्र. राज्य बनाम डॉ.बृजेश कुमार,

रिट अपील क्रमांक 528/2008, दिनांक 07.05.2009 के निर्णय एवं आदेश की भी चर्चा की है। वह रिट अपील राज्य सरकार द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आपातकालीन नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के कारण उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था। उस रिट अपील में, उच्च न्यायालय ने, पहले के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करने के बाद, पाया कि वरिष्ठता प्रदान करने और वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड देने के उद्देश्य से सेवाओं की गिनती के बीच एक वैचारिक अंतर है। उच्च वेतनमान का लाभ प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर दिया जाना है क्योंकि नियुक्ति नियमानुसार थी तथा बाद में नियमित कर दी गयी है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह भी माना है कि उच्च न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि भर्ती नियम, 1967 के नियम 13(5) के तहत आपातकालीन नियुक्तियों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर उच्च वेतनमान के लाभ के हकदार हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि राज्य सरकार अपने परिपत्र दिनांक 11.12.1999 के माध्यम से आपातकालीन नियुक्तो को उच्च वेतनमान का लाभ देने में विफल रही है। इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि आपातकालीन नियुक्तियाँ विज्ञापन और वेतनमान में चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गईं और ऐसी नियुक्तियाँ, उनके नियमित होने तक, बिना किसी रुकावट के जारी

रहीं। इसलिए, ऐसी नियुक्तियाँ पूर्णतः तदर्थ आधार पर नहीं थीं। उच्च न्यायालय ने आगे माना कि उच्च वेतनमान और चयन के अनुदान का निर्धारण करने के लिए प्रदान की गई पूर्व सेवा की अवधि को ध्यान में रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.02.1992 में परिकल्पित सभी पांच आवश्यक शर्तों को आपातकालीन नियुक्त पूरा करते हैं। श उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"7. इसमें कोई विवाद नहीं है कि विज्ञापन जारी किया गया था, चयन समिति का गठन किया गया था जिसने कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया था, वे नियुक्त होने के लिए विधिवत योग्य थे, उनकी नियुक्तियाँ उनके नियमित होने तक जारी रहीं और वे समान वेतनमान रखते थे जिसमें उन्हें नियमित किया गया। नियुक्ति वेतनमान में थी न कि निश्चित वेतन पर और कोई ब्रेक नहीं था, उन्हें किसी अवकाश रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था, प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ आधार पर नहीं थी, नियुक्ति उपरोक्त नियम 12(5) के तहत की गई थी।

8. उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों के आलोक में जब हम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.2.93 पर विचार करते हैं, जिस पर सीमा रायजादा और पद्मा श्रीवास्तव के मामले में निर्णय देते समय ट्रिब्यूनल ने भरोसा किया है, परिपत्र दिनांकित 12.2.92 का बारीकी से अध्ययन इंगित करता है कि उच्च वेतनमान और चयन ग्रेड वेतनमान प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रदान की गई पूर्व सेवा को निम्नलिखित शर्तों पर गिना जाना चाहिए:

(i) कि धारित पद समकक्ष होना चाहिए और समान वेतनमान वाला होना चाहिए;

(ii) धारित पद की योग्यता व्याख्याता पद के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं होनी चाहिए:

(iii) पूर्व पद पर नियुक्ति के समय, जिसकी सेवा को गिना जाना है, पदधारी के पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए;

(iv) पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा की जानी चाहिए

(v) नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ या एक वर्ष से कम के लिए अवकाश रिक्ति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

जब हम उपरोक्त पांच शर्तों को इस मामले में एक-एक करके लागू करते हैं, तो यह विवादित नहीं है कि कर्मचारियों की नियुक्ति एक ही पद पर और एक ही वेतनमान में थी। इस प्रकार, पहली शर्त पूरी होती है। जब हम पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में दूसरी शर्त पर आते हैं, तो जिस पद पर पद था वही पद था और पदधारियों के पास योग्यता यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं थी, यह राज्य का मामला भी नहीं है कि योग्यता विज्ञापन में निर्धारित से कम थी. इस प्रकार, दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। जब हम तीसरी शर्त पर आते हैं, तो आपातकालीन आधार पर नियुक्ति के समय पदधारी के पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता थी, उनके पास जो योग्यता थी उस पर भी कोई विवाद नहीं है। जब हम चौथी शर्त पर आते हैं तो यह स्वीकृत है कि चयन 1967 के नियमों के नियम 12(5) के तहत निर्धारित अनुसार किया गया था, चूंकि नियुक्ति नियम 12(5) के तहत की गई थी, उपरोक्त चौथी शर्त भी पूरी हो गई है. जब हम पांचवीं और अंतिम शर्त की जांच करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि नियुक्ति आपातकालीन आधार पर की गई थी, न कि पूरी तरह से तदर्थ आधार पर, यह किसी अवकाश रिक्ति के विरुद्ध नहीं थी। नियुक्ति के प्रयोजन हेतु नियम 12(5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया, नियम के तहत नियुक्ति की गई। नियम आपातकालीन नियुक्ति प्रदान करते हैं और उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं जिसका पालन किया

जाता है और अंततः सेवाएं नियमित हो जाती हैं। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 12.2.92 के माध्यम से ऐसी सेवाओं को उच्च वेतनमान एवं चयन वेतनमान हेतु गिनने का निर्णय लिया है, जिसके लाभ से कर्मचारियों को वंचित नहीं किया जा सकता था, अत: उपरोक्त परिपत्र दिनांक 12.2.92 के आधार पर राहत दी जानी है। हालाँकि परिपत्र दिनांक 12.2.92 के परिप्रेक्ष्य में एमपी पीएससी के डीओ में जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन एमपी पीएससी ने अपने डीओ दिनांक 25.12.98 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है:-

"आयोग ने खंड 1(ई) पर कानूनी राय मांगने के बाद वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए पिछली सेवा की गिनती के लिए तदर्थ क्षमता में प्रदान की गई सेवा को शामिल करने से इनकार कर दिया है, बशर्ते कि निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी हों: -

"(ए) तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक अवधि की थी

(बी) पदधारी की नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी

(सी) पदधारी को बिना किसी ब्रेक के तदर्थ सेवा जारी रखते हुए स्थायी पद पर चुना गया था।"

आयोग ने उपरोक्त निर्णय लिया है.

उपरोक्त तीन आवश्यकताएं भी तत्काल मामले में पूरी होती हैं। मौजूदा मामला बेहतर स्थिति में है क्योंकि प्रदान की गई सेवा पूरी तरह से तदर्थ नहीं थी, बल्कि यह एक आपातकालीन नियुक्ति के रूप में नियमों के तहत थी। यहां तक कि तदर्थ नियुक्त जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निरंतर था और विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयनित किया गया था और बाद में बिना किसी रुकावट के तदर्थ सेवा जारी रखते हुए स्थायी पद पर चयनित हो गए, उनकी सेवाओं को पीएससी के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए गिना जाएगा। मौजूदा स्थिति में कर्मचारियों का मामला काफी बेहतर है। इस प्रकार, उन्हें आपातकालीन नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवाओं की गिनती के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता था और उनकी पिछली सेवाओं को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए गिना जाना चाहिए था, हम पाते हैं कि एकल पीठ द्वारा दिया गया निर्णय कानून के अनुसार है और हमें एकल पीठ द्वारा पारित आदेश या राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपीलों को खारिज करने वाले कई मामलों में इस न्यायालय की विभिन्न डिवीजन बेंचों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई आधार नहीं मिला।"

उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के दिनांक 12.02.1992 के दोनों परिपत्रों के साथ-साथ आदेश दिनांक 25.12.1998 के

संदर्भ में प्रतिवादियों के रुख को बेहतर आधार पर माना क्योंकि उनकी सेवाएँ पूर्णतया तदर्थ नहीं बल्कि नियमों के तहत आपातकालीन कर्मचारी के रूप में हैं। उच्च न्यायालय ने रिट अपीलों को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी अपीलकर्ताओं द्वारा आपातकालीन नियुक्तों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति के लिए गिनने के लिए बाध्य हैं।

7. श्री बी.एस. बांठिया, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि भर्ती नियम, 1967 भर्ती के दो तरीके प्रदान करता है, नियम 7(1) के तहत पीएससी द्वारा की गई सीधी भर्ती द्वारा, और नियम 13(5) के तहत आपातकालीन नियुक्तियों द्वारा अस्थायी आधार पर, जब पीएससी सूची उपलब्ध नहीं है। विद्वान वकील का तर्क है कि ऐसे आपातकालीन नियुक्तियां सेवा, नियम 7(1) के अनुसार, पीएससी सूची उपलब्ध होते ही समाप्त की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि केवल वे नियुक्त व्यक्ति, जो नियम 7(1) के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए थे, वरिष्ठ और चयन ग्रेड वेतनमान पाने के पात्र थे, न कि वे जो नियम 13(5) के अनुसार नियुक्त किए गए थे। हालांकि, पिछले दरवाजे से नियुक्तियां नहीं, लेकिन वकील का तर्क है कि ये पीएससी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया की कठोरता के अनुरूप नहीं थीं और इसलिए, पीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों के बराबर नहीं की जा सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका तर्क

इस तथ्य से मजबूत हुआ है कि पीएससी सूची की उपलब्धता के मामले में उत्तरदाताओं को बिना किसी सूचना के निकाला जा सकता है और उत्तरदाताओं के लिए अपनी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए पीएससी की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। विद्वान वकील कई अन्य दस्तावेजों पर भी निर्भर करता है जैसे कि यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी की गई और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अपनाई गई विभिन्न योजनाएं, और समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेश और परिपत्र जो वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के लिए आकस्मिक नियुक्तों की पात्रता या अन्यथा का संकेत देते हैं तथा यह भी तर्क देते हैं कि ये भारी-भरकम दस्तावेज़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके, क्योंकि अपीलों का निपटारा प्रवेश के चरण में ही कर दिया गया था।

8. श्री. पी.एस. पटवालिया विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलों के समूह में उत्तरदाताओं के लिए दलीलों का नेतृत्व किया। उनका कहना है कि उत्तरदाता, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.10.1999 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 12.02.1992 को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन नियुक्तियों के रूप में प्रदान की गई अपनी सेवा की गणना करके उच्च वेतनमान के हकदार हैं उनका तर्क था कि प्रतिवादियों की नियुक्ति एक उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी और इसलिए, ऐसी नियुक्तियाँ अस्थायी या तदर्थ नियुक्तियों की प्रकृति की नहीं हैं, बल्कि

नियमों के अनुसार आपातकालीन नियुक्तियाँ हैं। इसलिए, उत्तरदाता आपातकालीन कर्मचारियों के रूप में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उच्च वेतनमान प्राप्त करने के हकदार हैं। फिर उन्होंने तर्क दिया कि न केवल नियुक्तियाँ 1967 के भर्ती नियमों के तहत निर्धारित तरीके के अनुसार की गईं, बल्कि उनकी विशेषताएं तदर्थ या आकस्मिक नियुक्तियों के समान नहीं थीं क्योंकि राष्ट्रव्यापी विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और योग्यता के आधार पर चयन किए गए थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य थे और उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से निरंतर सेवा के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिल रही है। उनका तर्क होगा कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे के मद्देनजर यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि नियुक्तियाँ तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं थीं। उन्होंने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांकित 25.08.1998, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में भरोसा किया है, एक वर्ष से अधिक के लिए प्रदान की गई तदर्थ सेवा के आधार पर उच्च वेतनमान देने पर विचार करता है। वह उक्त सरकारी आदेश पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते है कि उत्तरदाताओं का मामला बेहतर स्तर पर है क्योंकि उनकी सेवाएं पूरी तरह से तदर्थ नहीं हैं। श्री. पटवालिया आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय के तर्क का बचाव करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि उत्तरदाता, आपातकालीन

नियुक्तियों के रूप में, परिपत्र दिनांक 12.02.1992 में परिकल्पित सभी पांच शर्तों को पूरा करते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि उत्तरदाता बिना किसी कृत्रिम अवकाश के नियमित रूप से काम कर रहे थे और उन्हें नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ यूजीसी वेतनमान का भुगतान किया जाता है और वे पेंशन लाभ के लिए भी पात्र हैं। उनका तर्क है कि तदर्थ नियुक्ति की तीन विशेषताएं हैं, अर्थात, वे नियमों से परे बनाई जाती हैं, वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नियोजित होते हैं और उन्हें एक निश्चित वेतन श्रृंखला में होते है

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रदान की गई सेवा की पिछली अवधि को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ/चयन ग्रेड वेतनमान का अनुदान एक स्टेगनेशन हटाने वाला साधन' है और वर्तमान मामलों में उत्तरदाताओं को इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं है। उनका तर्क है कि यद्यपि आपातकालीन नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग के चयनित पैनल के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए की गई थीं, लेकिन यह सच है कि उत्तरदाता नियमित होने तक सेवा में बने रहे। उन्होंने आगे कहा कि परिपत्र दिनांक 11.10.1999, सहायक प्रोफेसरों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान करते समय, प्रदान की गई पिछली सेवाओं की गणना के लिए "नियमित सेवा" के बजाय "सेवा" शब्द का उपयोग करता है। उनका तर्क है कि 1999 का सर्कुलर बिना किसी भेद के सभी प्रकार की सेवाओं को लाभ

प्रदान करता है, चाहे वह नियमित, तदर्थ, अस्थायी या आपातकालीन सेवा हो। उनका कहना है कि उत्तरदाताओं ने उच्च वेतनमान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 1999 के परिपत्र के खंड 8 (ए) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है। उनका तर्क है कि नियम 7(4) लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य नियुक्ति पद्धति पर भी विचार करता है, जिसे नियम 13(5) के साथ पढ़ने पर उत्तरदाताओं को भर्ती नियम, 1967 के तहत सेवा में नियुक्त होने का दर्जा मिलेगा। फिर यह प्रस्तुत करेगा कि आपातकालीन नियुक्तियाँ नियमों के तहत निर्धारित हैं और इन्हें तदर्थ नहीं कहा जा सकता। उनका आगे तर्क है कि तदर्थ नियुक्तियाँ हमेशा सेवा नियमों से परे होती हैं और कुछ मामलों में, सीमित अवधि के लिए अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रदान किए गए नियमों को तदर्थ नहीं माना जा सकता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने उक्त परिपत्रों के तहत केवल पांच आपातकालीन नियुक्तियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया था, लेकिन उन आपातकालीन नियुक्तों को इससे वंचित कर दिया गया है, जिन्हें वर्ष 1987 और 2003 के बीच नियुक्त और नियमित किया गया था और इस प्रकार, यह यह समान रूप से नियुक्त आपातकालीन नियुक्ति के साथ भेदभाव और समान व्यवहार से इनकार करने के समान है। अपनी दलीलों के समर्थन में श्री पटवालिया इस न्यायालय के कई पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया है जो कि भरत संघ बनाम के बी राजोरिया, (2000) 3 एससीसी 562, भारत संघ बनाम मथिवनन,

(2006) 6 एससीसी 57, द्विजेन चंद्र सरकार और अन्य बनाम भारत संघ, (1999) 2 एससीसी 119 और एस सुमन्यान और अन्य बनाम वी. लिमी निरी और अन्य, (2010) 6 एससीसी 791। विद्वान वरिष्ठ वकील इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि अपीलों का निपटान प्रवेश के चरण में ही कर दिया गया था।

9. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रोमी चाको ने श्री पटवालिया द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए हैं तथा कथन किया ही कि तदर्थ नियुक्तियों और आपातकालीन नियुक्तियों के बीच अंतर राज्य द्वारा ही बनाया गया है।

10. संबंधित सिविल अपीलों में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अन्य सभी विद्वान वकीलों ने श्री पटवालिया द्वारा तर्क माने हैं।

11.पक्षों की ओर से उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा योजनाओं, सरकारी आदेशों और परिपत्रों के रूप में बड़ी मात्रा में प्रस्तुत सामग्री के अध्यन के हमने कोशिश की। जितना अधिक हमने इस मामले में गहराई से जाने की कोशिश की, उतने ही अधिक अस्पष्ट तथ्य, जिन्हें हम आम तौर पर 'पेंडोरास बॉक्स' कहते हैं, सामने आने लगे। इन दस्तावेज़ों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा सकता था, लेकिन चूँकि उन दस्तावेज़ों को हलफनामे के माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और

चूँकि विपरीत पक्ष के विद्वान वकील को उन दस्तावेज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने इन मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए, दोनों पक्षों को उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए, जिन पर उन्होंने हमारे सामने भरोसा करने की कोशिश की थी, वापस भेजना उचित समझा।

12. हमें दोनों विद्वान वकीलों ने यह भी सूचित किया है कि यह सभी पक्षों के हित में होगा कि इन याचिकाओं की सुनवाई एक ही पीठ के समक्ष की जाए ताकि उच्च न्यायालय से भिन्न राय की संभावना से बचा जा सके। मांग की अभिव्यक्ति उचित प्रतीत होती है और इसलिए, हम उसे स्वीकार करते हैं।

13. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम अपील स्वीकार करते हैं, इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं और कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेजते हैं। हम दोनों पक्षों को उन सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की भी स्वतंत्रता देते हैं जिन पर वे अपने मामले के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का तरीका, तरीका और स्रोत शामिल हैं।

14. हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश से यह भी अनुरोध करते हैं कि इन सभी मामलों को प्रधान पीठ को ही सौंप दिया जाए ताकि तथ्यों और कानून के समान सेटो पर अलग-अलग विचार रखने वाली दो या तीन पीठों के बजाय मामले को अंतिम रूप से एक ही पीठ द्वारा निपटाया जा सके।

15. चूंकि मामले कुछ समय से लंबित थे, इसलिए हम विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे या तो मामलों को स्वयं देखें या इसे एक उपयुक्त पीठ को सौंप दें और उस पीठ से अनुरोध करें कि वह अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। तदनुसार आदेश दिया गया।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **गरिमा बंसल (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।